भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 अक्तूबर, 2008

संख्या का० आ० 107/के० अ० 74/1956/धा० 8/2008.—केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74), की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 31/के० अ० 74/1956/धा० 8/2007, दिनांक 3 अप्रैल, 2007 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इस बारे में सन्तुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा, निदेश देते हैं कि हरियाणा राज्य में अपने कारबार का स्थान रखने वाले मारुति सुजूकी इण्डिया लिमिटेड द्वारा विनिर्मित तथा बेचे गए सभी वाहनों के विक्रय के सम्बन्ध में किसी पंजीकृत व्यवहारी को अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के सिलसिले में, भुगतानयोग्य कर, नवम्बर, 2008 के प्रथम दिन से उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) के अधीन यथाविहित प्ररूप ग में घोषणा प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुये, जहां तक आवर्त या उसका कोई भाग ऐसे विक्रयों से सम्बन्धित है, उसके आवर्त के एक प्रतिशत की दर पर संगणित किया जायेगा।

रमेन्द्र जाखू,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।